

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक :-संस्था/चि030/एटी/प035/15//48

दिनांक:- 12/02/15

:- आदेश :-

शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प. 1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसरण में राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा नियम-1963 के नियम 26 में उपलब्ध प्रावधानों के अर्न्तगत वॉक-एण्ड-इन्टरव्यू द्वारा चयन समिति की सिफारिश पर आवश्यक तदर्थ आधार (Urgent Temporary Basis) पर चयनित निम्नलिखित अभ्यर्थियों का अनुमोदन एतद् द्वारा किया जाता है :-

क्र. सं.	जिला	चिकित्सक का नाम व पता	जन्मतिथि	वर्ग	लिंग	पदस्थापन स्थान
1.	बाडमेर	डॉ० दीपक बेनीवाल पुत्र श्री खेताराम चौधरी बी-7 कर्मचारी कॉलोनी बलदेव नगर बाडमेर	01.11.88	OBC	M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी बाडमेर के अधीन
2.	हनुमानगढ़	डॉ० विनोद कुमार घोड़ेला पुत्र श्री गोपाल घोड़ेला वर्मा मेडिकल स्टोर मार्फत श्री रामनिवास नोखववाल पीपीओ दांतोर तहसील खाजूवाला बीकानेर	03.05.86		M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी हनुमानगढ़ के अधीन
3.		डॉ० रविन्द्र कुमारा पुत्र श्री छोटेलाल गांव डूंगरसिंहपुरा पोस्ट मुन्दड़िया बड़ा तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़	01.07.86		M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी हनुमानगढ़ के अधीन
4.		डॉ० प्रदीप कुमार पुत्र श्री निहाल सिंह 44, जाटों का मोहल्ला ललानाबास श्योपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़	20.06.89		M	मु० चिकि. एवं स्वा० अधिकारी हनुमानगढ़ के अधीन

शेष शर्तें शासन संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र क्रमांक प.1(1)/चि.स्वा./ग्रुप-2/2014 दिनांक 04/10/14 के अनुसार रहेगी।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1) विशिष्ट सहायक, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय, राजस्थान, जयपुर।
- 2) निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3) संभागीय आयुक्त संबंधित।
- 4) जिला कलक्टर, संबंधित।
- 5) सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
- 6) संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
- 7) संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन, संबंधित।
- 8) प्रमुख चिकित्सा अधिकारी/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/संबंधित नियंत्रण अधिकारी को भेजकर लेख है कि उक्त चयनित चिकित्सकों की कार्यग्रहण की सूचना मय पदस्थापन स्थान के तीन दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को भिजवाने का श्रम करे।
- 9) प्रभारी केन्द्रीय सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अवलोड करावें।
- 10) आदेश पत्रावली/ निजी पत्रावली।

निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें
राजस्थान जयपुर